न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57/2019 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र भौरीलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 14.08.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड प्रकरण सं. 58/2019 अ. धारा 91 राज. लै. रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री सी. एल. मीना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 04.10.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा में इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 296/33 रकबा 2.00 बीघा पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.08.2019 को बेदखल कर शास्ति कायम करने के साथ ही एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया, ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा, ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत् अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 296/33 रकबा 2 बीघा ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2019 में से एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2076 में ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खसरा नं0. 296/33 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह पर खरीफ की फसल जोत कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 14.08.2019 को बेदखल करने एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पूर्व अतिक्रमी भी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 296/33 रकबा 2 बीघा ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 296/33 रकबा 2 बीघा ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगढ पचवारा पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Lokesh Kumar Meena
Date: 2019.11.09 16:12:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: